


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के रामदेव मीणा व्या.वाणिज्य को कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान केशोरायपाटन-बून्दी के पत्रांक 14.02.2020 की अनुशंषा के आधार पर समसंख्यक आदेश दिनांक 20.02.2020 द्वारा श्री रामदेव मीणा व्या.वाणिज्य राउमावि लाखेरी-बून्दी के माह अक्टूबर 2019 का वेतन राउमावि लाखेरी-बून्दी से व्या.वाणिज्य के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान केशोरायपाटन-बून्दी के पत्रांक दिनांक 19.10.2020 द्वारा श्री रामदेव मीणा का वेतन आहरण की स्वीकृति माह अक्टूबर 2019 के स्थान पर नवंबर 2019 करने हेतु, का संशोधित प्रस्ताव भेजा गया।

अतः अतः श्री रामदेव मीणा व्या.वाणिज्य को कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.02.2020 में वेतन आहरित की अवधि माह अक्टूबर 2019 के स्थान पर माह नवंबर 2019 करने की संशोधित स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वेतन-व्यवस्था/31825/2020

दिनांक:- 21-12-2020

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ-

1. संबन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
2. संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/ ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी
3. सम्बन्धित शाला/संस्था/कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर